

सख्या शिक्षा - शिमला प्रा0 (2-4)ए(1)1/22- मान्यता प्राप्त - 37092-94
कार्यालय उप निदेशक शिक्षा प्रारम्भिक,
जिला शिमला- शिमला -171004
दिनांक शिमला-171004

21.12.2022

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
Chapslee School, Shimla-5
खण्ड Shimla-03, जिला शिमला हि0प्र0।

विषय :-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन विद्यालय की मान्यता के लिए मान्यता प्रमाण- पत्र ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपकी पाठशाला के पत्रसंख्या-शून्य दिनांक 13.05.2022 के आवेदन और विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार के प्रतिनिर्देश से, मैं Chapslee School, Shimla-5 जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को 1.03.2022 से 28.02.2027 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कक्षा पहली से कक्षा आठवी तक के लिए अनन्तितम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ तथा हर वर्ष हेतु क0 स 019 के अनुसार कार्यावाही करे।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-


1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 से आगे विद्यालय की मान्यता या सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011(उपाबन्ध-2) के उपाबन्धों का पालन करेगा।
3. सोसाइटी/ विद्यालय, किसी कैंपिटेसन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगी/करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्फीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगी/करेगा।
4. विद्यालय किसी बालक को निम्नलिखित के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा-
 - (i) आयु का सबूत न होना।
 - (ii) यदि ऐसा प्रवेश, प्रदेश के लिए 90 दिन की विस्तारित अवधि के पश्चात् चाहा गया हो, और
 - (iii) धर्म, जाति या वंश, जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर।
5. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि -
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा या ना ही उसका मानसिक उत्पीड़न किया जायेगा।
 - (iii) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 19 के अधीन यथा अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) निःशक्तता ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अधिनियम के उपाबन्धों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताओं के साथ की जाती है और विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, न्यूनतम अहर्ताएं नहीं हैं, मार्च 2015 तक ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करेंगे।
 - (viii) अध्यापक / अध्यापिका अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा/करेगी और
6. विद्यालय, धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।



7. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में छात्रों का नामांकन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
- | | |
|------------------------------|------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, | - 1931.31 Sq. M. |
| कुल निर्मित क्षेत्र, | - 701.26 Sq. M. |
| कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल, | - |
| कक्षा के कमरों की संख्या, | - 25 |

मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्षा के लिए कमरा, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड-डे-मिल पकाने हेतु रसोई अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेल-कूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता बाधा रहित पंहुच .

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर, विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य अवसरवनाओं या कीड़ा स्थलों का, विद्यालयों के किसी कर्मचारी के नियम के प्रयोजन के सिवाए, दिन या रात्रि के दौरान वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार की राजनैतिक या गैर - शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा।
12. विद्यालय को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।
13. विद्यालय के लेखाओं की, किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।
14. प्रत्येक वर्ष लेखा विवरण की एक प्रति उप निदेशक / खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
15. आपके विद्यालय को आंबटित **मान्यता कोड संख्याक 000108** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर निदेशक, शिक्षा/उपनिदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और वह राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएगा।
18. राज्य सरकार अनुपालना के लिए समय-समय पर अतिरिक्त भत्तों विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 (एन 0) उपखण्ड (11) तथा (4) में निर्दिष्ट सभी वैधानिक रूप से कार्यरत स्कूलों के प्रबन्धक हर वर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्व-धोषणा पत्र (प्रपत्र में ही हर स्थिति से अवगत करवाया जाए) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे 1 मान्यता के नवीनीकरण हेतु पांच सौ रुपये का शुल्क प्रति वर्ष देय होगा ।


उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला-4, जिला शिमला ।
21.12.2022

पृष्ठांकन
प्रतिलिपि :-

- | | संख्या | दिनांक | शिमला-171004 |
|----|--------|--------|---|
| 1. | | | निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला -1 को सूचनार्थ प्रेषित है । |
| 2. | | | खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी Shimla-03 को सूचनार्थ प्रेषित है । |
| 3. | | | रक्षक नरित । |


उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला-4, जिला शिमला ।

